ई- मेल E-mail : acc.wbjhne@epfindia.gov.in ☎ : 033-2358-6774

📠 : 033-2358-0296

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन / EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) / (Ministry of Labour and Employment: Govt. of India)

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय,

OFFICE OF THE ADDITIONAL CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं झारखंड / WEST BENGAL, NORTH EAST REGION, JHARKHAND

डी.के.ब्लॉक सेक्टर -।।, कोरूणामोई,साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091/DK Block, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700 091

सं.कभनिसं / एसीसी / केजेड/ 85 / लीगल/ ईमपैनेलमेंट/ एडवोकेट/ डब्लू.बी./ 493 दिनांक : 12 .06.2017

अधिवक्ताओं के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की एक सांविधिक संस्था है, की ओर से विभिन्न न्यायिक मंचों जैसे **कैट - कलकत्ता बैंच, उच्च न्यायालय- कलकत्ता, उच्च न्यायालय- कलकत्ता- परिक्षेत्र पीठ (सर्किट बैंच) - पोर्ट ब्लेयर, उच्च न्यायालय- सिक्किम, जिला ग्राहक विवाद निपटान फोरम (डीसीडीआरएफ)- पश्चिम बंगाल / सिक्किम / अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह, राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एससीडीआरसी) - पश्चिम बंगाल / सिक्किम / अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल / सिक्किम/ अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न निचली अदालत जैसे सी.एम.एम.,जे.एम. ए.सी.जे.एम., सी.जे.एम., एस.डी.जे.एम., जिला एवं सत्र न्यायालय इत्यादि तथा कोलकाता एवं आसनसोल में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकारण (सीजीआईटी)** के समक्ष केन्द्रीय बोर्ड, कभनि का प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव करता है।

पेशेवर अधिवक्ता जो भारत के बार काउंसिल / राज्य बार काउंसिल के साथ पंजीकृत हैं, सूची में शामिल होने के योग्य हैं। योग्यता, अनुभव, शुल्क की अनुसूची, अन्य निबंधन एवं शर्तें तथा आवेदन प्रारूप जिसमें आवेदन किया जाना है, निर्धारित किया गया है।

अधिवक्ता जो कभनिसं के वर्तमान सूची में शामिल हैं, के नाम इस नोटिस के परिप्रेक्ष्य में नयी सूची को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् कभनिसं के पूर्व के पैनल से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए, वे भी इस नोटिस के संदर्भ में फिर से आवेदन दे सकते हैं।

वकालत कर रहे योग्य अधिवक्ता अनिवार्य रूप से इसके साथ संलग्न **अनुलग्नक 'क'** एवं **अनुलग्नक 'ख'** में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक कागजातों के साथ मुहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर आवेदन करें :-

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , ऑचलिक कार्यालय, कोलकाता
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
भविष्य निधि भवन, डी.के. ब्लॉक सेक्टर ।।, सॉल्ट लेक सिटी,
कोलकाता - 700091. पश्चिम बंगाल.

लिफाफे पर मोटे अक्षरों में निम्नानुसार लिखा होना चाहिए :-

"अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन"

निर्धारित प्रारूप में आवश्यक कागजातों के साथ **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.07.2017 अपराह्न् 16.00 तक** है। कभनिसं में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन, आवेदक को कोई अधिकार / आश्वासन नहीं देता है कि उनको कभनिसं के पैनल में सूचीबद्ध कर लिया जाएगा। अधिवक्ताओं को उन्हें सूचीबद्ध किये जाने की पुष्टि से संबंधित पत्र कभनिसं द्वारा अलग से जारी किया जाएगा।

: अधिवक्ताओं के पैनल के लिए दिशा-निर्देश :

निम्न दिशानिर्देश विभिन्न न्यायालयों के समक्ष कभनिसं का प्रतिनिधित्व करने एवं सहायता प्रदान करने के लिए अधिवक्ताओं की सूची तैयार करने हेतु प्रक्रिया एवं प्रणाली को नियंत्रित करने तथा मामले की सिफारिशें और शुल्क/ पारिश्रमिक के भुगतान को विनियमित करने के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। ये दिशा-निर्देश इस संबंध में सभी मौजूदा निर्देशों, यदि कोई हो, को अधिक्रमित करेगा और बिना कोई कारण बताए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

1. सूची में शामिल होने हेतु योग्यता :-

आवेदन फॉर्म भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि कभनिसं में अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध होने के लिए पात्रता मानदंड, निर्देश और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें जैसा कि नीचे उल्लेखित किया गया है:-

i. राज्य बार काउंसिल में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित / पंजीकृत हों ।

ii. कोर्ट के समक्ष सिविल, सेवा, श्रम मामले, विवाचन मामले एवं अन्य मामलों में श्रम कानून की अच्छी जानकारी के साथ विशेषकर कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 (कभनि एवं विविध प्रकीर्ण अधिनियम, 1952) के संदर्भ में कम से कम 10 (दस) वर्षों या समकक्ष का अनुभव हो।

2. सूचीबद्ध होने की अवधि :-

प्रथमतया सूची में शामिल रहने की अवधि 02 (दो) वर्ष होगी अर्थात् ब्लॉक वर्ष 2017-19 (30.03.2019 तक)। अधिवक्ता के पैनल में जारी रखने के लिए सूचीबद्ध अधिवक्ताओं के कार्यनिष्पादन का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाएगा।

3. शुल्क का भुगतान एवं अन्य शर्तें :-

आवेदन फॉर्म भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि कभनिसं में अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध होने के लिए पात्रता मानदंड, निर्देश और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें जैसा कि नीचे उल्लेखित किया गया है:-

i. अधिवक्ताओं का शुल्क अनुलग्नक 'ग' के रूप में लगाये गये शुल्क की अनुसूची के अनुसार होगा उन शर्तों के साथ जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

ii. प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अपवादात्मक मामलों में मामले की महत्ता एवं किसी निर्दिष्ट मामले में अधिवक्ता के द्वारा किये गये प्रयासों को ध्यान में रखते हुए अनुलग्न अनुसूची में वर्णित शुल्क से ज्यादा शुल्क का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करें।

iii. किसी पैनल अधिवक्ता को केवल इस आधार पर कोई प्रतिधारण शुल्क नहीं दिया जाएगा कि ऐसे अधिवक्ता सूचीबद्ध हैं।

4. सूची में शामिल होने की प्रक्रिया :-

क. आवेदक अधिवक्ता केवल कभनिसं द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करें।

ख. यदि कोई आवेदन अधिवक्ता एक से अधिक न्यायालय में सूचीबद्ध होने का इच्छुक है तो वह प्रत्येक न्यायालय के लिए अलग-अलग आवेदन करे।

ग. यदि कोई आवेदन विज्ञापन में प्रकाशित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होती है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

घ. किसी भी आवेदक अधिवक्ता को साक्षात्कार / बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाएगा जब तक वह पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता/ करती है एवं इसके लिए उनके नाम संक्षिप्त सूची में शामिल नहीं किये जाते हैं।

ङ. प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं जरूरतों के आधार पर साक्षात्कार / बातचीत के लिए उम्मीदवारों को छांटने एवं सूचीबद्ध करने का अधिकार कभनिसं के पास सुरक्षित है।

च. केवल पात्रता मापदंड को पूरा करने से किसी आवेदक अधिवक्ता को यह अधिकार नहीं होगा कि उसे साक्षात्कार / बातचीत के लिए बुलाया जाए एवं चयनित किया जाए।

छ. उम्मीदवारों को चुनने एवं चयन के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

ज. किसी भी तरह के प्रचार को अयोग्यता के रूप में देखा जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

झ. चुने हुए अधिवक्ता उम्मीदवारों की सूची को साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान के साथ हमारे संगठन की वेबसाईट www.epfindia.gov.in पर अपलोड कर दिया जाएगा।

ञ. आवेदक अधिवक्ता साक्षात्कार के समय कागजातों की मूल प्रतियां जॉच के लिए लाएंगे।

ट. चयनित उममीदवारों की सूची कभनिसं के वेबसाईट www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध होगी। आवेदक अधिवक्ताओं को उनके सूचीबद्ध किये जाने से संबंधित पत्र कभनिसं द्वारा अलग से जारी किये जाएंगे।

5. सूची में शामिल किये गये अधिवक्ताओं का कर्त्तव्य :-

क. अधिवक्ता किसी पक्ष को सलाह नहीं देगा या कभनिसं के विरूद्ध कोई मामला स्वीकार नहीं करेगा जिसमें वह पेश हुआ / हुई हो या पेश होने या सलाह देने के लिए बुलाया गया हो जो कभनिसं के विरूद्ध मुकदमेबाजी पर प्रभाव डाले या प्रभावित करे।

ख. न्यायालय में कभनिसं के लिए मामले को लड़ने हेतु समय पर पेश होना अनिवार्य है। बिना किसी तर्कपूर्ण आधार के एवं अग्रिम सूचना के उनका / उनकी अनुपस्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी।

ग. कभनिसं पैनल अधिवक्ताओं को सौंपे गये मामले की सूचना ई-मेल के माध्यम से देता है एवं ई-मेल प्राप्त होने के बाद पैनल अधिवक्ताओं का यह कर्त्तव्य होगा कि कभनिसं के संबंधित कार्यालय से नियुक्ति पत्र के साथ-साथ संक्षिप्त वृतांत / याचिका की प्रति, जल्द से जल्द प्राप्त करे।

घ. कभनिसं अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता को कार्य सौंपने के लिए स्वतंत्र है एवं सूचीबद्ध कोई पैनल अधिवक्ता यह दावा नहीं करेगा / करेगी कि उसे अकेले ही कभनिसं के विधिक मामले को सौंपा जाए।

ङ. बिना किसी तर्कपूर्ण कारण के (यथा इच्छा के विरूद्ध के आधार पर) किसी अधिवक्ता द्वारा किसी कार्य को स्वीकार करने से मना करना ऐसे अधिवक्ता को उनके पैनल की अवधि की समाप्ति का इंतजार किये बिना पैनल से तुरंत हटाने के लिए अपरिहार्य आधार बन सकता है।

च. कभनिसं द्वारा समय-समय पर सूचीबद्ध किये जाने से संबंधित नियमों एवं शर्तों को अधिवक्ता स्वीकार करेंगे।

छ. सुनवाई वाले मामलों पर प्रभावी जॉच को सुनिश्चित करने हेतु पैनल में शामिल अधिवक्ता अनिवार्य रूप से प्रत्येक सुनवाई के बाद प्रत्येक मामले की स्थिति को सूचित करेंगे। रिपोर्ट की स्थिति से अवगत कराने में असफल होना संबंधित अधिवक्ता को पैनल से हटाये जाने का एक आधार होगा।

ज. वैसे मामलों जहॉ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत के संघ के अनुरोध पर उनका प्रतिनिधित्व किया जाना है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत के संघ के हितों को देखने एवं सुरक्षित रखने हेतु अधिवक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

झ. यदि जरूरत हो, अधिवक्ता कैट - कलकत्ता बैंच, उच्च न्यायालय - कलकत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय - सर्किट बैंच - पोर्ट ब्लेयर, उच्च न्यायालय - सिक्किम एवं अन्य न्यायिक फोरम के समक्ष किसी विशेष मामले में लगे विशेष या वरिष्ठ अधिवक्ता को सभी सहायता प्रदान करेंगे।

ञ. अधिवक्ता सौंपे गये मामलों, सुनवाई की तिथि, न्यायालय के आदेशों (इसके राय देने की तिथि पर), आदेशों / निर्णयों की प्रतियां आदि उपलब्ध करवाने के संबंध में कभनिसं को महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना देंगे एवं अद्दतन रखेंगे।

ट. अधिवक्ता कैट (कलकत्ता बैंच), उच्च न्यायालय (कलकत्ता), डीसीडीआरएफ(पश्चिम बंगाल), एससीडीआरसी (पश्चिम बंगाल)बंगाल) या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये मामलों के बारे में मासिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

ठ. जब उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये किसी मामले के विरूद्ध निर्णय होता है तो संबंधित अधिवक्ता ऐसे प्रतिकूल आदेशों के कारणों के संबंध में एवं ऐसे निर्णयों के लिए अपील दर्ज करने के औचित्य के बारे में, आदेश (कच्ची प्रति) की तिथि के पाँच कार्यदिवस के बाद नहीं, अनिवार्य रूप से राय दें।

ड. यदि कभनिसं के विधि प्रकोष्ठ को निर्णय की तिथि से तीन दिनों के अंदर (न्यायालय द्वारा प्रति को तैयार करने में लिए गए समय को छोड़कर) निर्णय की प्रमाणित प्रति नहीं सौंपी जाती है तो अधिवक्ता के देय शुल्क से 30% राशि काट ली जाएगी।

6. पैनल से हटाना :-

कभनिसं के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वो बिना कोई कारण बताये एक अधिवक्ता को लिखित में एक महीने का नोटिस देकर उसके मनोनयन को रद्द कर दे। अधिवक्ता भी एक महीने का नोटिस देकर संगठन से त्यागपत्र दे सकता है।

अधिवक्ता की तरफ से हुए निम्नलिखित में से किसी के भी घटना के कारण उसके मनोनयन को रद्द किया जा सकता है:-

i. सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन में दी गई गलत सूचना।

ii. बिना किसी उचित कारण के और / या पूर्व सूचना के मामले की सुनवाई में उपस्थित होने में नाकाम होना।

iii. कभनिसं के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करना या विनिर्दिष्ट निर्देशों के विरूद्ध जाना।

iv. कभनिसं के किसी कर्मचारी, अधिकारी या प्रतिनिधि को धमकाना, भयभीत करना या गाली देना।

v. कभनिसं के मामले से जुड़ी जानकारियों को विरोधी पक्ष या उनके अधिवक्ता या किसी तीसरे पक्ष को देना जिससे कभनिसं के हितों को क्षति पहुँचे।

vi. कभनिसं को मामले की कार्यवाही से जुड़े गलत या भ्रामक सूचना देना।

vii. न्यायालय की कार्यवाही से बारंबार अनुपस्थित रहना यद्यपि एक अधिवक्ता के द्वारा "प्रतिनिधित्व" या "प्रतिपत्र" लिया गया हो।

अनुलग्नक क से ग ।

शशि भूषण

(एस.बी. सिन्हा)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह

अनुलग्नक 'क'

आवेदन सं. .... (कभनिसं द्वारा भरा जाना है।)

कभनिसं की सूची में सम्मलित करने हेतु आवेदन प्रपत्र

(सभी आवेदक अधिवक्ताओं द्वारा भरा जाना है)

सेवा में,
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, (ऑचलिक कार्यालय, कोलकाता)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय (प.बं., सिक्किम तथा अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
डी.के. ब्लॉक सेक्टर-II, सॉल्ट लेक सिटी,
कोलकाता - 700091. पश्चिम बंगाल
दूरभाष सं. : 033 ....

नाम (बड़े अक्षरों में)	
पिता का नाम	
न्यायालय, जिसके लिए आवेदन किया गया	
संलग्न कागजातों की सूची (कृपया √ लगाएं) सभी प्रमाण-पत्र एवं अंक सूची की प्रतियाँ (Xवीं से आगे) अनुभव का प्रमाण पत्र भरा हुआ अनुलग्नक क एवं ख अन्य (कृपया उल्लिखित करें) : 1. 2.	

व्यैक्ति ब्यौरे (बड़े अक्षरों में)		
1.	पूरा नाम	
2.	पिता / पति का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	उम्र (15.07.2017 को)	
5.	राष्ट्रीयता	
6.	वैवाहिक स्थिति	
7.	पत्राचार का पता, पिन एवं दूरभाष सं. के साथ	
8.	स्थायी पता, पिन एवं दूरभाष सं. के साथ	
9.	कार्यालय का पता / कक्ष , यदि कोई हो, पिन एवं दूरभाष सं. के साथ	
10.	मोबाईल सं.	
11.	ई-मेल आईडी :	
12.	क्या आप किसी कभनिसं कर्मचारी से संबंधित हैं? यदि ऐसा है तो कृपया ब्यौरा दें (जैसे नाम, पदनाम, कार्य का स्थल एवं आवेदक के साथ संबंध)	

13. शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा (मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा से लेकर)

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	श्रेणी	अंकों का %	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष
10वीं / मैट्रिकुलेशन					
12वीं / इंटरमीडिएट					
स्नातक					
एलएलबी / विधि स्नातक डिग्री					
स्नातकोत्तर					
अन्य व्यवसायिक योग्यता					

14. आवेदक वतर्मान में क्या किसी अन्य सरकारी विभाग / पीएसयू / संवैधानिक निकाय / स्वायत्त निकाय आदि की सूची में है, यदि हाँ तो नीचे दिये गये ब्यौरे को भरें (कार्यालय आदेश की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति / सूची में शामिल किए जाने का पत्र संलग्न करें) :-

विभाग / पीएसयू/ संवैधानिक निकाय/ स्वायत्त निकाय	से	तक
1.		
2.		

15. क्या आवेदनकर्त्ता विधि अनुसंधानकर्त्ता (एलआर) के रूप में किसी न्यायालय / न्यायाधीश के साथ संबद्ध रहा है? यदि हाँ, तो समर्थक कागजात एवं ब्यौरे दें :-

न्यायालय / न्यायाधीश का नाम	अनुसंधान की अवधि	समर्थक कागजात
1.		
2.		

16. यदि आवेदनकर्त्ता के एक या उससे अधिक कनिष्ठ सहयोगी के रूप में हों, उनके ब्यौरे नीचे दिए जाएं:-

क्रं.सं.	अधिवक्ता का नाम	नामंकन संख्या, तिथि के साथ

17. आवेदक के पास उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं (कृपया सही (√) चिन्ह् लगाएं, यदि उपलब्ध हो)

कार्यालय स्थान	कार्यालय लिपिक	आशुलेखक / टंकक	सहायक कर्मचारी	लैपटॉप / डेस्क्टॉप / कंप्यूटर प्रिंटर / ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा

18. कभनि एवं विप्र अधिनियम, 1952 से जुड़े मामलों की संख्या, यदि पहले निपटाया हो :-

क्रं.सं.	मामले का शीर्षक (दस्तावेजी प्रमाण अवश्य संलग्न किए जाएं)

19. क्या आवेदनकर्त्ता को कांउसेल के रूप में (वकालतनामा के माध्यम से) किसी मूल मामले या महत्वपूर्ण घटना में लगाया गया है? यदि हॉ तो मामले का विवरण, निर्णय की प्रति के साथ जहॉ उसकी / उसका नाम किसी एक पक्षकार के लिए अधिवक्ता के रूप में दर्ज हों (आदेश / निर्णय की प्रति प्रमाण के रूप में संलग्न किए जाएं) :-

न्यायालय का नाम	मामले का शीर्षक	न्याय की प्रकृति

20. क्या अंतिम पॉच वर्षो के लिए आयकर विवरणी जमा की गयी है? हॉ/ नहीं (यदि हॉ,तो कृपया आईटीआर की प्रति संलग्न करें):-

21. बैंक खाते का ब्यौरा / आधार संख्या नीचे दिये जाएं :-

बैंक खाता का ब्यौरा (बैंक, खाता संख्या, शाखा का पता एवं आईएफएससी कोड)	पैन संख्या	आधार संख्या

22. क्या बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति द्वारा व्यावसायिक कदाचार के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है या उसके समक्ष चल रही है :-

क्रं.सं.	आरोपों के ब्यौरे एवं कार्यवाही	अनुशासनात्मक समिति द्वारा पाए गए निष्कर्ष

23. क्या आवेदक अधिवक्ता के विरूद्ध कोई आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है या एफआईआर दर्ज की गई या कोई आपराधिक कार्यवाही कभी शुरू की गई है :-

क्रं.सं.	आरोपों एवं कार्यवाहियों का ब्यौरा	न्यायालय द्वारा पाए गए निष्कर्ष

24. कोई अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता, जो आगे उम्मीदवारी, व्यवसायिक सामाज की सदस्यता सहित, पुरस्कार एवं सम्मान आदि, नीचे खाने में सूचीबद्ध किये जाएं (कागजाती प्रमाण संलग्न किए जाएं):-

वचनबंध

1). मैं एतत्द्वारा घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि आवेदन में दी गई सूचना एवं संलग्न प्रमाणपत्र मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य / सही हैं, मैंने कोई भी संबंधित सूचना नहीं छुपाई हैं। मैं इस बात से पूर्णतया अवगत हूँ कि यदि मेरी द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत / असत्य पाई गई तो सूची में शामिल करने की मेरी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी एवं मामले को उचित प्राधिकारी के पास संदर्भित किया जाएगा।

2). मैं कभनिसं के मामले के बारे में, जैसा कि संबद्ध अधिनियम, नियमों एवं विनियमन के तहत् जरूरत हो, पूर्णतया गोपनीय बनाये रखने का भी वचन देता हूँ।

3). मैं सभी मामलों की फाइलें एवं अभिलेख कभनिसं को, जब और जहाँ जरूरत हो, लौटाने का भी वचन देता हूँ।

4). मैं कभनिसं द्वारा अधिसूचित शुल्क अनुसूची से सहमत हूँ।

तिथि :

स्थान :

अधिवक्ता का हस्ताक्षर

नामांकन संख्या

मोबाईल नं.

आवेदन सं. .... (कभनिसं द्वारा भरा जाना है।)

अतिरिक्त सूचना पत्रक

(वर्तमान पैनल अधिवक्ताओं द्वारा भरा जाना है, नई सूची में शामिल होने के लिए आवेदन देने हेतु)

1. पैनेल अधिवक्ता का नाम : ....

2. कैट - कलकत्ता बैंच, उच्च न्यायालय- कलकत्ता, उच्च न्यायालय- कलकत्ता- परिक्षेत्र पीठ (सर्किट बैंच) - पोर्ट ब्लेयर, उच्च न्यायालय- सिक्किम, जिला ग्राहक विवाद निपटान फोरम (डीसीडीआरएफ) - पश्चिम बंगाल / सिक्किम / अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह, राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एससीडीआरसी) - पश्चिम बंगाल / सिक्किम / अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल / सिक्किम/ अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न निचली अदालत जैसे सी.एम.एम.,जे.एम. ए.सी.जे.एम., सी.जे.एम्., एस.डी.जे.एम., जिला एवं सत्र न्यायालय आदि तथा कोलकाता एवं आसनसोल के लिए सूचीबद्ध में केन्द्रीय सरकार औद्दयोगिक ट्रायब्यूनल (सीजीआईटी) ....

3. पैनल की अवधि ....

4. आवंटित कुल मामलों की संख्या ....

5. मामलों की संख्या जिनके फैसले हुए ....

के पक्ष में (मामले शीर्षक)	के विरूद्ध (मामले शीर्षक)	वापस प्रतिप्रेषित (मामले शीर्षक)

6. लंबित मामलों की संख्या ....

7. अधिवक्ता के पास लंबित सबसे पुराने मामले का ब्यौरा ....

8. विशेष उपलब्धि , यदि कोई हो ....

9. आवेदक अधिवक्ता की अभियुक्ति, यदि कोई हो ....

स्थान : (आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

तिथि :

ई-मेल E-mail : acc.wbjhne@epfindia.gov.in

दूरभाष/ Phone : 033-2358-6774
फैक्स / Fax No. : 033-2358-0296

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन / EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) / (Ministry of Labour and Employment: Govt. of India)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय,
OFFICE OF THE ADDITIONAL CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER
पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह / WEST BENGAL, SIKKIM And ANDMAN & NICOBAR ISLANDS
डी.के.ब्लॉक सेक्टर -II, कोरूणामोई,साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091/DK Block, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700 091

No. EPFO/ACC/KZ/85/Legal/Empanelment/Advocate/WB/493 Date: 12.06.2017

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR EMPANELMENT OF ADVOCATES

Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), on behalf of the Central Board, Employees' Provident Funds, a statutory body of the Ministry of Labour & Employment, Government of India, proposes to engage Panel Counsel(s) to represent the Central Board, EPF before **various judicial fora viz. CAT → Calcutta Bench, High Court → Calcutta, Calcutta High Court → Circuit Bench → Port Blair, High Court → Sikkim, District Consumer Disputes Redressal Forum (DCDRF) → West Bengal/Sikkim/Andaman & Nicobar Islands, State Consumer Disputes Redressal Commission (SCDRC) → West Bengal/Sikkim/Andaman & Nicobar Islands, various lower Courts of West Bengal/Sikkim/Andaman & Nicobar Islands like C.M.M., J.M., A.C.J.M., C.J.M., S.D.J.M., District & Sessions Court etc. and Central Government Industrial Tribunal (CGIT) at Kolkata and Asansol.**

The practising advocates who are registered with Bar Council of India / State Bar Council are eligible for empanelment. The qualification, experience, schedule of fees, other terms and conditions and the application format in which the application has to be made, have been prescribed.

The Advocates who are on the existing panel of EPFO shall cease to be on the panel of EPFO after new panel is finalized against this notice. Therefore, they may also apply afresh in response to this notice.

Eligible practising advocate must submit application in the format prescribed in **Annexure "A"** and **Annexure "B"** enclosed herewith, along with all supporting documents in a sealed envelope to:-

Additional Central Provident Fund Commissioner, Zonal Office, Kolkata.
Employees' Provident Fund Organisation,
Bhavishya Nidhi Bhawan, D. K. Block, Sector-II, Salt Lake City,
Kolkata 700 091. West Bengal.

The envelope should be superscribed as following:-

"Application for empanelment of Advocates".

The **last date of receiving Applications** in the prescribed format alongwith supporting documents is **15.07.2017 till 16:00 hours.**

Application for empanelment at EPFO does not confer any right / assurance whatsoever, to an applicant that he / she will be empanelled on the panel of EPFO. Letters to advocates confirming their empanelment will be issued by EPFO separately.

:GUIDELINES FOR EMPANELMENT OF ADVOCATES:

Following guidelines are designed to provide and regulate the manner and procedure for empanelling the advocates to represent and assist EPFO before various courts and for regulating the referrals of the case and payment of fee / remuneration. These guidelines shall supersede all existing instructions in this regard, if any, and is subject to change without assigning any reason.

1. Eligibility of Empanelment:-

Before filling the application form, the candidates are advised to carefully read and follow the eligibility criteria, instructions and terms & conditions for empanelment of Advocates in EPFO mentioned herein below:-

i. Be enrolled / registered as an advocate with the State Bar Council.

ii. Have a minimum, relevant experience of 10 (Ten) years of handling Civil, Service, Labour matters, Arbitration matters and other cases before the court with a fair knowledge of Labour Laws with special reference to Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (E.P.F. and M.P. Act,1952).

2. Tenure of Empanelment: -

The initial empanelment will be for the period of 2 (two) years i.e. for the Block year 2017-19 (upto 31.03.2019).Performance of empanelled advocates shall be reviewed at regular interval for continuance in the panel of Advocate.

3. Payment of Fee and other conditions:-

i. The fee payable to the advocates shall be governed by the Schedule of fee annexed as **Annexure "C"** with these guidelines as amended from time to time.

ii. The Competent Authority shall have the right in exceptional cases to approve the payment of a higher fee than the fee mentioned in the annexed schedule keeping in view the importance of the matter and the efforts put in by the advocate in a particular case.

iii. No retainer fee hall be paid to any panel advocate merely because such advocate has been empanelled.

4. Procedure for Empanelment:-

a. The applicant advocate must apply on the format prescribed by the EPFO only. No other format will be entertained.

b. An applicant advocate willing to be empanelled for more than one forum may apply separately for each forum.

c. Any application received after the last date prescribed in the advertisement shall not be entertained.

d. No applicant advocate shall be called for interview / interaction unless he / she satisfies the eligibility conditions and is shortlisted for the same.

e. Depending upon the requirement and number of applications received, EPFO reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview /interaction and to be empanelled.

f. Merely fulfilling the eligibility criteria will not confer any right on an applicant advocate to be called for interview / interaction and to be selected.

g. The decision of the competent authority regarding short listing and selection of the candidates shall be final.

h. Canvassing in any form shall be treated as a disqualification. The candidature of such applicants shall be cancelled forthwith.

i. A list of shortlisted applicant advocates with the date, time and venue of interview will be uploaded on our website i.e. www.epfindia.gov.in

j. The applicant advocate shall bring original documents at the time of interview for verification.

k. The list of selected advocates will be made available on EPFO website www.epfindia.gov.in Letter to applicant advocates confirming their empanelment will be issued by EPFO separately.

5. Duties of the Empanelled Advocates:

a. The Advocate shall not advise any party or accept any case against the EPFO in which he / she has appeared or is likely to be called upon to appear for or advise which is likely to affect or lead to litigation against EPFO.

b. Timely appearance of the advocate to contest the cases for EPFO in the Court is a must. His / her absence in the Court, without any reasonable ground and notice in advance, will not be accepted.

c. EPFO sends the information to the panel advocates through e-mail regarding entrustment of a case and after receiving the e-mail, it is duty of the panel advocates to collect brief / copy of petition alongwith assignment letter from the concerned office of EPFO at the earliest.

d. EPFO is free to engage any advocate of its own choice and an empanelled advocate shall make no claim that he / she alone should be entrusted with EPFO's legal matter(s).

e. Refusal by any advocate to accept any work without any reasonable cause (e.g. on grounds of conflict of interest) may entail removal of such advocate from the panel, forthwith without waiting for the empanelment period to expire.

f. The advocate shall accept the terms and conditions of empanelment as determined by EPFO from time to time.

g. In order to ensure that there is effective check on the cases being conducted, the advocates on panel must report status of each case after each date of hearing. Failure to submit status report will be a ground for removal of the advocate concerned from the panel.

h. In cases where on the request of the Union of India, Ministry of Labour &Employment have also to be represented, no extra fee shall be paid to the advocate to watch and safeguard the interests of Union of India, Ministry of Labour & and Employment.

i. If required, the advocate shall render all assistance to Special or Senior Counsel engaged in a particular case before the CAT → Calcutta Bench, High Court → Calcutta, Calcutta High Court → Circuit Bench → Port Blair, High Court → Sikkim and other judicial fora.

j. The advocate shall keep EPFO informed and updated on important developments in the assigned cases, dates of hearing, orders of the court (on the date of its pronouncement), supplying copy of orders / judgment etc.

k. The advocate shall furnish monthly statement about the cases represented by him / her before the CAT (Calcutta Bench), High Court (Calcutta), DCDRF(West Bengal), SCDRC(West Bengal) or any other authority and their outcomes.

l. When any case attended by him/her is decided against the Organisation, the advocate concerned must give considered opinion regarding the reasons for such adverse order and the advisability of filing an appeal from such a decision not later than 5 (five) working days of the order (kuchha copy).

m. 30% of the fees payable to the advocate shall be deducted if the certified copy of the judgment is not handed over to the Legal Cell of EPFO within three days (excluding the time taken by the Court in preparation of the copy) from the date of judgment.

6. Removal from Panel:-

EPFO reserves the right to terminate the empanelment of an advocate with one month's notice in writing without assigning any reason. The advocate may also resign from the Organisation by serving one month's notice.

Empanelment is liable to be cancelled due to occurrence of any of the following on part of the advocate:-

i. Giving false information in the application for empanelment,
ii. Failing to attend hearing of the case without any sufficient reason and / or prior information,
iii. Not acting as per EPFO's instructions or going against specific instructions,
iv. Threatening, intimidating or abusing any of EPFO's employees, officers or representatives,
v. Passing on information relating to EPFO's case on to opposite parties or their advocates or any third party which is likely to cause any damage to EPFO's interest,
vi. Giving false or misleading information to EPFO relating to the proceedings of the case,
vii. Seeking frequent adjournments or not objecting to adjournments moved by other party without sufficient reason,
viii. Frequent absence from court proceedings even if "pass over" or "proxy" is obtained by an advocate.

Encl: Annexure A to C.

SBSinha
12.6.17
(S. B. SINHA)
Additional Central Provident Fund Commissioner,
West Bengal, Sikkim, Andaman & Nicobar Islands.

APPLICATION NO. ………………..(To be filled by EPFO)

APPLICATION FORM FOR EMPANELMENT IN EPFO
(TO BE FILLED IN BY ALL APPLICANTADVOCATES)

To
The Additional Central Provident Fund Commissioner
(West Bengal, Sikkim, Andaman & Nicobar Islands),
Employees' Provident Fund Organisation,
Bhavishya Nidhi Bhawan,
D. K. Block, Sector-II, Salt Lake City,
Kolkata 700 091. West Bengal.

Telephone : 033-23586774 / 2404

Name (in Block letter)	
Father's name	
Court for which applied	
List of documents attached (please √) Copy of all certificates & mark -sheets (Xth onwards) Experience Certificate Duly filled Annexure A & B Others (Please specify): 1. 2.	

PERSONAL DETAILS (IN BLOCK LETTERS)		
1	Name in full	
2	Father's / Husband's name	
3	Date of Birth	
4	Age on 15.07.2017	
5	Nationality	
6	Marital status	
7	Address for correspondence with PIN and phone nos.	
8	Permanent address with PIN and Phone nos.	
9	Address of office / chamber, if any with PIN and phone nos.	
10	Mobile number (s)	
11	e-mail ID:	
12	Are you related to any EPFO employee? If so, please give details (viz. Name, Designation, Place of work & relationship with the applicant):	

13. Details of Educational qualification (Commencing with Matriculation or equivalent examination):

Examinations passed	Name of the Board / University	Class or Division	% of Marks	Subjects	Year of passing
10th / Matriculation					
12th /Intermediate					
Graduation					
LLB / Law Graduate Degree					
Post Graduation					
Other Professional Qualifications					

14. Whether the applicant is currently on the panel of any other Government Department / PSU/Statutory Body /Autonomous Body etc., and if yes, the details below (Self - certified copy of the Office Order / letter of empanelment may be attached):-

Name of the Department / PSU/Statutory Body/Autonomous Body	From	To
1.		
2.		

15. Whether the applicant has worked as Legal Researcher (LR) attached to any Court / judge? If yes, the details and the supporting documents:-

Name of Court / Judge	Period of Research	Supporting documents
1.		
2.		

16. If one or more advocates are associated as juniors of the applicant, their details be provided below:-

Sl. No.	Name of the advocate	Enrolment no. with date

17. Infrastructural facilities available with the applicant be provided below {please tick (√) if available} :-

Office space	Office clerk	Steno / typist	Support staff	Laptop /Desktop/ Computer printer/ Broadband internet facility

18. No. of cases relating to EPF and MP Act'1952, if handled earlier:-

Sl. No.	Title of case (Documentary proof must be attached)

19. Whether the applicant has been engaged (through Vakalatnama) as counsel in any landmark or mother case? If yes, the particulars of the case with copy of the judgment wherein his / her name is recorded as advocate for one of the parties (copy of order / judgment be attached as proof):-

Name of the Court	Case title	Nature of Judgment

20. Whether Income Tax return is being filed for last five years? Yes/No (If yes, please attach copies of ITRs):-

21. Details of Bank Account / Aadhar Number be provided below:-

Bank Account Details (Bank, Account Number, Address of the Branch and IFSC code)	PAN Number	Aadhar Number

22. Whether any proceeding has ever been commenced or is continuing before the Disciplinary Committee of the Bar Council for alleged professional misconduct:-

Sl. No.	Details of allegations and proceedings	Finding made by the Disciplinary Committee.

23. Whether any criminal complaint has ever been filed or FIR registered or any criminal proceeding has ever commenced against the applicant advocate:-

Sl. No.	Details of allegations and proceedings	Finding made by the Court

24. Any additional professional qualifications(s), which will further the candidature, including membership of professional societies, awards and honours etc. maybe listed in the box below (Documentary proof should be attached):-

UNDERTAKING

1). I hereby confirm and declare that the information furnished in the application and in the attached certificate is true / correct and complete to the best of my knowledge and belief, I have not concealed any relevant information. I am fully aware that if any information furnished by me is found to be false / incorrect, my candidature for empanelment will be treated as cancelled and matter will be referred to the appropriate authority for necessary action.

2). I also undertake to maintain absolute secrecy about the cases of EPFO as required under the relevant Act, Rules and Regulations.

3). I also undertake to return all case files and records to EPFO as and when required by EPFO.

4). I agree with the Fee Schedule notified by EPFO.

Signature of Advocate

Enrolment Number

Mobile Number

Place:

Date:

Annexure B

APPLICATION NO. :...................(To be filled by EPFO)

ADDITIONAL INFORMATION SHEET

(To be filled in by existing panel advocates applying for fresh empanelment)

1. Name of the Panel advocate: ....

2. Empanelled for CAT → Calcutta Bench, High Court → Calcutta, Calcutta High Court → Circuit Bench → Port Blair, High Court → Sikkim, District Consumer Disputes Redressal Forum (DCDRF) → West Bengal/Sikkim/ Andaman & Nicobar Islands, State Consumer Disputes Redressal Commission (SCDRC) → West Bengal/Sikkim/Andaman & Nicobar Islands, Lower Courts of West Bengal/Sikkim/Andaman & Nicobar Islands like C.M.M., J.M., A.C.J.M., C.J.M., S.D.J.M., District & Sessions Court etc. and Central Government Industrial Tribunal (CGIT) at Kolkata and Asansol:

   ....

3. Duration in the panel ....

4. Total number of cases allotted ....

5. No. of cases Decided:..

In favour (case title)	Against (case title)	Remanded back (case title)

6. No. of cases pending: ....

7. Details of oldest pending with the advocate:..

8. Special achievements, if any: ....

9. Remarks of applicant advocate, if any ....

(Signature and name of the applicant)

Place:

Date: